न्यायालय सहायक कलक्टर किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति निशा सहारण(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 206/2021

1. नाबालिग जयगोपाल पुत्र महन्त जयकृष्णदास जाति ब्राह्मण जरिये संरक्षक प्राकृतिक पिता जयकृष्णदास पुत्र महन्त बालकृष्णदास जी जाति ब्राह्मण निवासी काचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर

2. नाबालिग हृदयांशु पुत्र मोहनश्याम शर्मा जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता मोहनश्याम पुत्र महन्त बालकृष्णदास जी जाति ब्राह्मण निवासी कॉचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर

3. नाबालिग जपीश पुत्र हरिकृष्ण जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता हरिकृष्ण पुत्र महन्त बालकृष्णदास जी जाति ब्राह्मण निवासी कॉचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर राज.।

वादीगण

बनाम

1. नटवरलाल पुत्र महन्त बालकृष्णदास जी जाति ब्राह्मण निवासी कॉचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर
2. आशा जी पुत्री महन्त बालकृष्णदास जी जाति ब्राह्मण निवासी कॉचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर ।
3. गलकू पत्नी गोपीराम जाति भांमी निवासी कांचरिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (नाम तर्क आदेश दिनांक 06.07.2022)
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 04.06.2025

वकील वादी :— श्री महावीर मालाकार एवं डी.सी. सेठी

वादीया की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम काचरिया स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 0.0405 व खसरा नम्बर 361/133 रकबा 7.1516 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 139 रकबा 0.0485 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 154 रकबा 0.2751 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 155 रकबा 0.0728 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 164 रकबा 0.9708 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0566 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 173 रकबा 4.1664 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 57 रकबा 0.6472 हेक्टेयर जो वादीगण की दादी मधुकान्ता पत्नी बालकृष्णदास जी महन्त के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 174 रकबा 0.3964 हेक्टेयर में वादीगण दादी का 46/49 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। मधुकान्ता जी की मृत्यु दिनांक 18.10.2020 को हो गई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। मधुकान्ता जी के निम्न वारिसान है —मधुकान्ता जी (फौत) जयकृष्णदास पुत्र मोहनश्याम पुत्र नटवरलाल पुत्र हरिकृष्ण पुत्र आशादेवी पुत्री है। मधुकान्ता ने दिनांक 23.2.2019 को उक्त पैरा नम्बर 1 में उल्लेखित कृषि भूमि खसरा नम्बर 57 व 132 व 133 व 139 व 154 व 155 व 164 व 167 व 173 व 174 मे अपने हिस्से भू भाग की वादीगण के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया था और यह वसीयतनामा मधुकान्ता ने राजी खुशी अपनी इच्छा से वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया था तथा मधुकान्ता जी की मृत्यु हो गई इस प्रकार कानूनन वसीयतनामे के आधार पर वादीगण उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन गए और वसीयतनामा के आधार पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के लिए दावा पेश कर रहे है। खसरा नम्बर 133 के नये नम्बर 361/133 हो गए है। प्रतिवादी गलकू से वादीगण ने कोई अनुतोष नही चाहा है और उसका हिस्सा मधु कान्ता जी द्वारा विक्रय किया गया था अतः यथावत रहेगा तथा खसरा नम्बर 174 बैंक ऑफ बडौदा के रहन रहेगा। वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है और दिनांक 29.9.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

नौकर चाकर ने वादीगण के कृषि कार्य में व्यवधान पैदा किया अतः स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी पेश करना आवश्यक हुआ कि वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण नौकर चाकर व्यवधान पैदा नही करे। वाद कारण दिनांक 23.2.2019 को तब पैदा हुआ जब मधुकान्ता जी ने वादीगण के पक्ष में वसीयत निष्पादित की तथा वाद कारण तब पैदा हुआ जब दिनांक 18.10.2020 को मधुकान्ता जी की मृत्यु हुई वाद कारण निरन्तर जारी है। वादीगण का श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा संख्या 01 में उल्लेखित कृषि भूमि में स्व. मधुकान्ता जी के हिस्से भू भाग की वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कृपा करावे और खातेदारी घोष्णात्मक डिक्री आदेश बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण देने की कृपा करावे एवं प्रतिवादीगण नौकर चाकर को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द करने की कृपा करावे कि भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुचाए उपयोग उपभोग में बाधा नही पहुंचाए अन्य अनुतोष जो अदालत उचित समझे वादीगण को दिलाने की कृपा करावें।

वादी का वाद दिनांक 01.11.2021 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 09.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से वकील श्री देवकरण गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 20.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया कि यदि वसीयतनामा के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 06.07.2022 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसमें उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 का नाम तर्क किये जाने का निवेदन किया उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 03 का नाम तर्क किया गया। दिनां 08.04.2025 को वादी की साक्ष्य ली गई तथा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है:— प्रदर्श 01 जमाबन्दी ग्राम काचरिया खाता संख्या 71, प्रदर्श 02 जमाबन्दी ग्राम काचरिया खाता संख्या 72, प्रदर्श 03 जमाबन्दी खाता संख्या 128, प्रदर्श 04 ए वसीयत की प्रति।

दिनांक 20.05.2025 को हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई एवं वाद का प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विवेचन किया गया। वादीगण द्वारा जरिये संरक्षक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का. अधि. के तहत स्व. मधुकान्ता की खातेदारी भूमि में वसीयतनामा दिनांक 23.02.2019 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा हेतु पेश किया गया है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया कि वादअधीन भूमि स्व. मधुकान्ता की पैतृक भूमि है अथवा स्वअर्जित भूमि है। स्व. मधुकान्ता द्वारा भूमि अर्जन का स्त्रोत सिद्ध होने पर ही भूमि अंतरण के संबंध में पेश वसीयतनामे की विधिमान्यता का निर्धारण किया जा सकता है। वाद में प्रस्तुत साक्ष्य वादी एवं वाद के दस्तावेजात के आधार पर वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहें है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खारिज वाद डिक्री पर्चा पृथक से तैयार किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

सहायक कलक्टर
किशनगढ अजमेर